सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0
ना0 अपील सं0 24/2016

महेश पुत्र कमल कुमार जाति हरि0 ब्राह्मण निवासी लालसोट रोड, दौसा जिला दौसा ..अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. तहसीलदार तहसील दौसा
3. जगदीश प्रसाद पुत्र कल्याण सहाय जाति हरि0 ब्राह्मण निवासी गणेश नगर, दौसा
4. राकेश पुत्र सत्य नारायण जाति महाजन निवासी मानगंज दौसा
5. मनभरी पत्नी कैलाश चंद्र जाति ब्राह्मण निवासी खवारावजी तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
6. सीता पुत्री कैलाश चंद्र जाति ब्राह्मण निवासी खवारावजी तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
7. राधा पुत्री कैलाश चंद्र जाति ब्राह्मण निवासी खवारावजी तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
8. आशीष पुत्र जगदीश नारायण नाबालिग जरिए संरक्षिका माता मनभरी देवी जाति ब्राह्मण निवासी खवारावजी तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
9. कैलाश पुत्र छाजू जाति ब्राह्मण निवासी व्यासों का नोहरा हाल निवासी सुन्दरदास मार्ग दौसा जिला दौसा
10. राम विलास पुत्र छाजू जाति ब्राह्मण निवासी व्यासों का नोहरा हाल निवासी सुन्दरदास मार्ग दौसा जिला ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं0 170 दिनांक
07.03.1992 व न्यायालय तहसीलदार, दौसा

उपस्थिति–1. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता रेस्पो0

<u>निर्णय</u> दिनांकः 07.11.17

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 07.03.1992 को नामान्तरकरण सं0 170 अपीलांट व रेस्पो0 सं0 3 लगायत 10 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 10 ने आराजी खसरा नंबर 3282 रकबा 0.95 है0, वाके दौसा कलॉ तहसील व जिला दौसा को उसके खातेदार तीजा बेवा रेवड से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.12.1991 उप पंजीयक दौसा के यहॉ पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 90 कम संख्या 37 के पृष्ठ संख्या 231 पर पंजीबद्ध किया गया। जिसके

आधार पर आराजी का नामा0 सं0 170 दिनांक 07.03.1992 को तहसीलदार दौसा द्वारा अपीलांट्स का नाम खोला गया जिसमें अपीलांट्स के पिता कमलकुमार के स्थान पर अपीलांट की वल्दियत कृष्ण कुमार अंकित करदी गई। अपीलांट को उक्त गलती का पता लगने पर राजस्व नकलें प्राप्त कर अपील पेश की गई है। समस्त रिकॉर्ड में अपी0 के पिता का नाम कमल कुमार ही अंकित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें व अपीलांट की सही वल्दियत महेश पुत्र कमल कुमार के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पो0 की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सहवन से दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के पिता का नाम सही किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 07.03.1992 को नामान्तरकरण सं0 170 अपीलांट व रेस्पो0 सं0 3 लगायत 10 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरकरण में अन्य रेस्पो0 के साथ महेशकुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति हरियाणा ब्राह्मण अंकित है। अपीलांट्स द्वारा उसके पिता का नाम संशोधन करने हेतु इस्तदुआ की गई है। हॉलाकि अपीलांट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये। इसलिए इस न्यायालय द्वारा सीधा ही कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.1992 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 07 नवम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलक्टर,दौसा